सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 456 राँची ,सोमवार 24 भाद्र 1936 (श०)

15 सितम्बर, 2014 (ई०)

नगर विकास विभाग

संकल्प

28 अगस्त, 2014

संख्या-5/न0वि0/विविध/119/2013-3873--झारखण्ड राज्य के शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से शहरों के सुनियोजित एवं समेकित विकास करने हेतु नगर विकास विभाग कृतसंकल्प है। शहरी स्थानीय निकायों के द्वारा झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के आलोक में नागरिकों को मौलिक सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाती है । शहरीकरण की बढ़ती प्रवृति ने शहरों में कई नागरीय समस्याओं को जन्म दिया है एवं नगर निकायों से शहरी नागरिकों की अपेक्षाओं में भी काफी वृद्धि हुई है।

II. संविधान के 74वें संशोधन के आलोक में शहरी निकायों के दायित्व में काफी वृद्धि हो गयी है। संविधान के 12वें अनुच्छेद के अनुसार शहरों का सुनियोजित विकास, पेयजलापूर्ति, साफ-सफाई, बेहतर परिवहन व्यवस्था, शहरी क्षेत्रों का समुचित उपयोग, विभिन्न प्रकार की सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु योजनाएँ तैयार करना, आधारभूत संरचनाओं यथा, सड़कों एवं पुलों का निर्माण, शहरी गरीबी उन्मूलन, विभिन्न प्रकार की नागरिक सुविधाएँ उपलब्ध कराना शहरी स्थानीय निकायों का संवैधानिक दायित्व है।

III. विधि विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना ज्ञापांक-63 दिनांक-30 जनवरी, 2012 के द्वारा ''झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011'' अधिसूचित कर दिया गया है, जिसमें नगरपालिका की स्थायी समिति का गठन, वार्ड समिति का गठन, इत्यादि प्रावधान वर्णित किए गए हैं। इन प्रावधानों को कार्यान्वित करने हेतु विस्तृत कार्यकारी निदेश निर्गत किए जाने की आवश्यकता है।

यह भी पाया जा रहा है कि निकाय स्तर पर योजनाओं के चयन, सूत्रण, कार्यान्वयन, अनुश्रवण, पर्यवेक्षण एवं संधारण के संबंध में कोई स्पष्ट निदेश नहीं होने के कारण योजनाओं का समुचित लाभ निकाय के हर क्षेत्र के नागरिकों को नहीं मिल पा रहा है तथा एक बड़ी राशि का इस क्रम में ससमय इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है।

IV. स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रक्षेत्रों के विकास हेतु निकायों को उपलब्ध करायी गयी राशि से ली गई योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु परियोजनाओं के चयन, प्राथमिकताओं का निर्धारण, कार्यकारी एजेन्सियों के विधिवत् चयन, सुनियोजित कार्यान्वयन, अनुश्रवण, पर्यवेक्षण तथा सृजित परिसम्पतियों के समुचित संधारण के लिए नीति मूलक मार्गदर्शन की आवश्यकता है ताकि निकाय का कोई भी क्षेत्र विकास से वंचित न रहने पाए।

V. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में सम्यक् विचारोपरान्त झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 614 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में उक्त अधिनियम के पीछे निहित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निम्न वर्णित निदेश दिये जाते हैं:

1.0 वार्ड समितिः

1.1 झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के अध्याय-5 की धारा-34 के आलोक में वार्ड समितियों का गठन परिशिष्ठ-''क'' के अनुसार जायेगा, जिसके सदस्यों का नाम एवं मोबाईल नं0 विभागीय वेबसाईट पर रखा जायेगा।

1.2 ''झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011'' के अध्याय-5 की सुसंगत धाराओं के आलोक में वार्ड समिति के द्वारा अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन किया जाएगा।

1.3 इसके अलावा प्रत्येक वार्ड में कार्यान्वयनाधीन योजनाओं के पर्यवेक्षण, पूर्ण योजनाओं के संचालन-प्रबंधन, वार्ड समिति द्वारा सौंपे गये कार्यो के संबंध में परामर्श देने या जांच करने हेतु झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा-38 के आलोक में निम्न वर्णित उपसमितियाँ गठित की जाएगी जो अधिकतम 15 दिनों के अन्तर्गत अनुश्रवण का कार्य पूर्ण करेगाः

1.3.1 जलापूर्ति एवं जलकर उपसमिति:

1.3.1.1 इस उप समिति की संरचना निम्नवत होगी:

1	संबंधित वार्ड पार्षद	अध्यक्ष
2	वार्ड की आम सभा द्वारा मनोनीत उक्त वार्ड के निवासी -2 (दो)	सदस्य
3	वार्ड की आम सभा द्वारा मनोनीत व्यवसायी वर्ग के प्रतिनिधि -2 (दो)	सदस्य
4	अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रतिनिधि -2 (दो)	सदस्य
5	महिला वर्ग के दो प्रतिनिधि -2 (दो)	सदस्य
6	शहरी स्थानीय निकाय के मनोनीत पदाधिकारी/कर्मी	सदस्य-सचिव

1.3.1.2 जलापूर्ति एवं जलकर उपसमिति के दायित्व:

उपर्युक्त उपसमिति अपने वार्ड के परिक्षेत्राधीन निम्न वर्णित दायित्वों का निर्वहन करेगी:

1. पर्याप्त एवं स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु वार्ड समिति को सुझाव देना।

2. निर्माणाधीन जलापूर्ति योजना की प्रगति का मूल्यांकन तथा इसके संधारण, मरम्मति एवं परिवर्तन के संबंध में अनुशंसाएँ देना।

3. मलिन बस्ती/सार्वजनिक उपयोग हेतु सामुदायिक सहभागिता से स्टैंड पोस्ट अधिष्ठापन की अनुशंसा करना।

4. पेय जलापूर्ति की बर्बादी (Leakage, etc) की रोकथाम हेतु उपाय सुझाना।

5. पेयजल संयोजन हेतु अनुशंसा करना।

6. पेयजल शुल्क वसूली का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में सहयोग करना।

7. वार्ड क्षेत्रांतर्गत चापाकल अधिष्ठापन एवं मरम्मती संबंधी सुझाव देना।

8. नियत समयावधि के दौरान नियमित पेयजलापूर्ति सुनिश्चित कराना।

9. जलापूर्ति संबंधी आपदा प्रबंधन के कार्य में सहयोग करना।

10. समय-समय पर वार्ड समिति द्वारा सौंपे गए दायित्वों का ससमय निर्वहन।

1.3.2 स्वच्छता उपसमिति:

1.3.2.1 इस उप समिति की संरचना निम्नवत होगी:

1	संबंधित वार्ड पार्षद	अध्यक्ष
2	वार्ड के आम सभा द्वारा मनोनीत उक्त वार्ड के निवासी -2 (दो)	सदस्य
3	वार्ड की आम सभा द्वारा मनोनीत व्यवसायी वर्ग के प्रतिनिधि -2 (दो)	सदस्य
4	अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रतिनिधि -2 (दो)	सदस्य
5	महिला वर्ग के दो प्रतिनिधि -2 (दो)	सदस्य
6	शहरी स्थानीय निकाय के मनोनीत पदाधिकारी/कर्मी	सदस्य-सचिव

1.3.2.2 उपर्युक्त उपसमिति अपने वार्ड के परिक्षेत्राधीन निम्न वर्णित दायित्वों का निर्वहन करेगी:

1. नियत समयावधि के दौरान नियमित समय पर अपने बोर्ड में साफ-सफाई एवं कचरा संग्रहण/उठाव सुनिश्चित कराना।
2. निकाय को सार्वजनिक स्थल पर जमा कचरे की सूचना देना।
3. कचरा संग्रहण शुल्क वसूली में सहयोग।
4. संग्रहित कचरे के उठाव हेतु वार्ड में स्थल सुझाव।
5. व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु लाभुको का चयन में सहयोग करना।
6. सार्वजनिक शौचगृह एवं मूत्रालय निर्माण हेतु स्थल चयन में सहयोग करना।
7. खुले शौच की रोकथाम हेतु यथोचित उपाय सुझाना।
8. समय-समय पर वार्ड समिति द्वारा सौंपे गए दायित्वों का ससमय निर्वहन।

1.3.3 नागरिक सुविधा एवं होल्डिंग कर (Tax) उपसमिति:

1.3.3.1 इस उप समिति की संरचना निम्नवत होगी:

1	संबंधित वार्ड पार्षद	अध्यक्ष
2	वार्ड की आम सभा द्वारा मनोनीत उक्त वार्ड के निवासी -2 (दो)	सदस्य
3	वार्ड की आम सभा द्वारा मनोनीत व्यवसायी वर्ग के प्रतिनिधि -2 (दो)	सदस्य
4	अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रतिनिधि -2 (दो)	सदस्य
5	महिला वर्ग के दो प्रतिनिधि -2 (दो)	सदस्य
6	शहरी स्थानीय निकाय के मनोनीत पदाधिकारी/कर्मी	सदस्य-सचिव

1.3.3.2 यह उप समिति वार्ड अन्तर्गत होल्डिंग कर (Tax) निर्धारण एवं वसूली संबंधी समस्त कार्यों के प्रति उत्तरदायी होगी एवं इसके निमित्त निम्न वर्णित कार्य करेगीः

1. भूमि एवं भवनों पर संपत्ति कर निर्धारण एवं वसूली में सहयोग करना।
2. वार्ड परिक्षेत्राधीन नगरपालिका कर वंचना के मामले से अवगत कराना।
3. अनाधिकृत भूमि अथवा भवन के उपयोग से निकाय को अवगत कराना।
4. अनाधिकृत बूचड़खाना, मनोरंजन केन्द्र, व्यवसायिक केन्द्र, विज्ञापन स्थल को चिन्हित कर निकाय को सूचित करना एवं कर वसूली के उपाय सुझाना।
5. सार्वजनिक पथ, नाली, उद्यान, जल संकर्म एवं पार्किंग स्थल के अतिक्रमण तथा अवैध निर्माण संबंधी सूचना देना एवं हटाने में सहयोग करना।
6. पथ प्रकाश व्यवस्था संबंधी सुझाव देना।
7. पार्क, उद्यान एवं खुले स्थलों का विकास हेतु उपाय सुझाना।
8. समय-समय पर वार्ड समिति द्वारा सौंपे गए दायित्वों का ससमय निर्वहन।

1.3.4 स्वनियोजन उपसमिति:

1.3.4.1 इस उप समिति की संरचना निम्नवत होगी:

1	संबंधित वार्ड पार्षद	अध्यक्ष
2	वार्ड की आम सभा द्वारा मनोनीत उक्त वार्ड के निवासी -2 (दो)	सदस्य
3	वार्ड की आम सभा द्वारा मनोनीत व्यवसायी वर्ग के प्रतिनिधि -2 (दो)	सदस्य
4	अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रतिनिधि -2 (दो)	सदस्य
5	महिला वर्ग के दो प्रतिनिधि -2 (दो)	सदस्य
6	शहरी स्थानीय निकाय के मनोनीत पदाधिकारी/कर्मी	सदस्य-सचिव

1.3.4.2 यह उप समिति वार्ड अन्तर्गत स्वनियोजन हेतु की जा रही समस्त कार्यों के पर्यवेक्षण एवं संचालन के प्रति उत्तरदायी होंगी एवं इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निम्न कार्य करेगी:

1. राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा नियत मापदण्ड के आधार पर क्षेत्र के भीतर योग्य लाभार्थी की पहचान करना।

2. निष्पक्ष, पारदर्शी एवं लोकतांत्रिक मूल्य आधारित सामुदायिक संगठन का स्वरुप तय करने में सहयोग करना।

3. वार्ड क्षेत्रान्तर्गत पड़ोसी समूह (Neighbourhood Groups) एवं स्वयं- सहायता समूह (Self-help Group) के कार्यो की समीक्षा कर वार्ड समिति को प्रतिवेदित करना।

4. समय-समय पर वार्ड समिति द्वारा सौंपे गए दायित्वों का ससमय निर्वहन।

1.3.5 वार्ड कल्याण उपसमिति:

1.3.5.1 इस उप समिति की संरचना निम्नवत होगी:

1	संबंधित वार्ड पार्षद	अध्यक्ष
2	वार्ड की आम सभा द्वारा मनोनीत उक्त वार्ड के निवासी -2 (दो)	सदस्य
3	वार्ड की आम सभा द्वारा मनोनीत व्यवसायी वर्ग के प्रतिनिधि -2 (दो)	सदस्य
4	अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रतिनिधि -2 (दो)	सदस्य

5	महिला वर्ग के दो प्रतिनिधि -2 (दो)	सदस्य
6	शहरी स्थानीय निकाय के मनोनीत पदाधिकारी/कर्मी	सदस्य-सचिव

1.3.5.2 उपर्युक्त उपसमिति अपने वार्ड के परिक्षेत्राधीन निम्न वर्णित दायित्वों का निर्वहन करेगी:

1. यह उप समिति वार्ड अन्तर्गत अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण के अतिरिक्त समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा (विशेषकर विकलांगों एवं मानसिक रूप से विक्षिप्त) हेतु चलायी जा रही योजनाओं के पर्यवेक्षण एवं संचालन के प्रति उत्तरदायी होंगी।

2. राज्य/केन्द्र सरकारों से कल्याणकारी सहायता प्राप्त करनेवाले व्यक्तियों की योग्यता सत्यापित करना।

3. क्षेत्र के लोगो की प्रतिभा को उजागर करने हेतु सांस्कृति पर्व, खेलकूद समारोह आदि आयोजन का प्रस्ताव तैयार करना।

4. भंगी के पुनर्वास हेतु आजिविका हेतु अनुशंसा करना।

5. सामुदायिक जागरुकता संबंधी कार्य।

6. समय-समय पर वार्ड समिति द्वारा सौंपे गए दायित्वों का ससमय निर्वहन।

1.4 उपर्युक्त विभिन्न उप समितियों के द्वारा निम्नांकित निर्देशों के आलोक में अपने दायित्वों का निर्वहन किया जाएगा:

1. प्रत्येक उप समिति की बैठक का स्थल निर्धारण उप समिति के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

2. प्रत्येक वित्तीय वर्ष की प्रथम बैठक में उप समिति के अध्यक्ष द्वारा एक सदस्य को बतौर उपाध्यक्ष नामित किया जाएगा, जो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करेगा।

3. प्रत्येक उप समिति अपने कार्य के संचालन हेतु प्रत्येक दो माह में कम बार बैठक करेगी अथवा दो सदस्यों से अन्यून द्वारा लिखित अध्यपेक्षा करने पर सात दिनों के भीतर बैठक आहूत की जा सकेगी।

4. बैठक में कार्य संचालन हेतु आवश्यक कोरम कम से कम तीन सदस्यों का होगा।

5. उपसमिति के अध्यक्ष के हस्ताक्षरोपरांत सदस्य सचिव द्वारा बैठक की कार्यवाही पंजी एवं अन्य अभिलेख संधारित किए जाऐंगे तथा प्रत्येक बैठक के कार्यवाही की एक प्रति बैठक सम्पन्न होने के 10 (दस) दिनों के भीतर वार्ड समिति को प्रेषित की जाएगी।

2.0 राशि की विमुक्ति (Allocation of Fund)

2.1 राज्य संपोषित विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रासंगिक योजना के विभागीय वार्षिक बजटीय उपबंध में कर्णांकित राशि की 75 प्रतिशत राशि की विमुक्ति निम्न प्रकार से की जाएगी:

(I)	भारत की जनगणना, 2011 के आधार पर विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर	50%
(II)	राज्य के विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों के क्षेत्रफल के अनुपात में	50%

2.2 राज्य के विभिन्न स्थानीय निकायों में मूलभूत आवश्यक नागरिक सुविधाएँ प्रदान किए जाने हेतु राज्य स्तर पर प्रासंगिक योजना के विभागीय वार्षिक बजटीय उपबंध में कर्णांकित राशि की 25 प्रतिशत राशि सुरक्षित रखी जायेगी, जिसे विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों में स्वीकृत की गई विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति को दृष्टिगत रखते हुए समय-समय पर विमुक्त किया जाएगा।

2.3 उपर्युक्त कंडिका 2.2 में राशि आवंटित किए जाने के उपरांत अवशेष राशि रहने के स्थिति में उपर्युक्त कंडिका 2.1 के आलोक में राशि की विमुक्ति की जाएगी।

3.0 विभिन्न प्रक्षेत्रों के लिए निधि वितरण का मानदण्ड (Criteria for Sectorwise Allocation):

3.1 राज्य सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को प्रक्षेत्रवार, यथा-सड़क निर्माण, नाली निर्माण, नागरिक सुविधा मद में उपलब्ध करायी गयी राशि का निम्न रूपेण वितरण (Distribution) करते हुए व्यय किया जाएगा:

क्रं0	प्रक्षेत्र	निकाय स्तर	वार्ड स्तर
1	नाली	40%	60%
2	सड़क	60%	40%
3	नागरिक सुविधा	80%	20%

3.2 कर्णांकित प्रक्षेत्रीय राशि का वार्डवार वितरण समस्त वार्डों की जनसंख्या एवं उनके क्षेत्रफल के आधार पर 50रू50 के अनुपात में किया जाएगा।

3.3 किसी प्रक्षेत्र की वार्ड स्तरीय कर्णांकित राशि हेतु ऐसे वार्ड में योजना चयनित नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित वार्ड समिति की अनुशंसा पर दो या दो से अधिक वार्डों के लिए उपयोगी योजनाओं में निकाय के बोर्ड की स्वीकृति के उपरांत राशि व्यय की जा सकेगी।

3.4 किसी प्रक्षेत्र की वार्ड स्तर पर कर्णांकित राशि के व्यय नहीं किए जाने अथवा अवशेष रहने की स्थिति में निकाय स्तर से कार्यांवित की जाने वाली योजनाओं में इस राशि का उपयोग किया जा सकेगा।

3.5 प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय के द्वारा प्रक्षेत्रवार वार्षिक विकास कार्य योजना तैयार करते समय उक्त शहरी स्थानीय निकाय के लिए कर्णांकित प्रक्षेत्रीय बजटीय उपबंध की राशि की 1.25 गुणा लागत की योजनाएँ ली जा सकेगी, जिस क्रम में उपर्युक्त कंडिका 3.1 में वर्णित क्षेत्रवार कर्णांकण को ध्यान में रखा जाएगा।

3.6 इस क्रम में उक्त प्रक्षेत्र एवं क्षेत्र अन्तर्गत वर्तमान दायित्व (Current Liability) हेतु उक्त वित्तीय वर्ष में कार्यान्वयन हेतु आवश्यक राशि को घटाने के उपरान्त अवशेष राशि के अनुसार ही नई योजनाएँ ली जा सकेगी।

4.0 योजनाओं का चयन (Selection of Schemes):

4.1 प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय निम्नांकित प्रकृति की प्रक्षेत्रवार योजनाओं का निम्नांकित तालिका के अनुसार चयन किया जाएगा:

क्रं0	योजना की प्रकृति	लाभान्वित नागरिक	चयन की प्रक्रिया
1	शहरी स्तर	एक से अधिक वार्ड के निवासी	बोर्ड के स्तर से
2	वार्ड स्तरीय	संबंधित वार्ड के निवासी	वार्ड की आम सभा एवं वार्ड समिति की अनुशंसा के आधार पर बोर्ड के स्तर से

4.2 प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पूर्व झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-381 के अनुसार प्रत्येक वार्ड की वार्ड समिति की बैठक आयोजित करते हुए वार्ड स्तरीय योजनाओं का चयन करते हुए अनुशंसा की जाएगी तथा ऐसी अनुशंसाओं को उक्त शहरी स्थानीय निकाय के बोर्ड के समक्ष अनुमोदन हेतु उपस्थापित किया जाएगा।

वार्ड समिति के द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में वार्ड स्तर की योजनाओं को उक्त वार्ड हेतु निर्धारित वित्तीय सीमा के अन्तर्गत रहने की दशा में बोर्ड के द्वारा सामान्यतः स्वीकृत किया जाएगा एवं अस्वीकृत करने की दशा में तत्संबंधी कारण स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए संबंधित वार्ड समिति को सूचित किया जाएगा।

वार्ड स्तर पर योजनाओं के चयन में इस प्रकार की योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनसे ''अधिकतम जनसंख्या को अधिकतम लाभ'' (Maximum Benefit to Maximum Population) प्राप्त हो सके।

4.3 निकाय स्तर की योजनाओं का चयन बोर्ड द्वारा किया जाएगा, जिस क्रम में इस प्रयोजन हेतु उपलब्ध निधि एवं ''अधिकतम जनसंख्या को अधिकतम लाभ'' सिद्धांत का पालन किया जाएगा।

5.0 विस्तृत परियोजन प्रतिवेदन तैयार करना (Preparation of Detailed Project Report (DPR)):

5.1 बोर्ड के द्वारा पारित योजनाओं के सूत्रण हेतु निम्नांकित रूप से ऐसी योजनाओं के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन Detailed Project Report (DPR) तैयार कराए जाऐंगे:

5.1.1 1.00 करोड़ रूपये से कम लागत की योजनाओं के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन शहरी स्थानीय निकाय के स्तर से चयनित परामर्शी/निकाय के अभियंता के द्वारा तैयार कराएँ जा सकेंगे।

5.1.2 1.00 करोड़ से अधिक लागत की योजनाओं के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु ''झारखण्ड नगरपालिका लेखा हस्तक'' में वर्णित प्रावधानों का अनुपालन करते हुए नगर विकास विभाग के स्तर से चयनित/अनुमोदित परामर्शी सेवाएँ प्राप्त की जा सकेगी।

6.0 योजनाओं की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति (Tachnical Sanction and Administrative Approval of Schemes):

6.1 चयनित योजनाओं के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार कराने के उपरान्त निम्नांकित विवरणी के अनुसार सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाएगी:

<table>
<tr><th rowspan="2">क्रं0</th><th rowspan="2">योजना की लागत</th><th rowspan="2">सक्षम तकनीकी स्वीकृति स्तर</th><th rowspan="2">अवधि</th><th colspan="3">सक्षम प्रशासनिक स्वीकृति स्तर</th></tr>
<tr><th>नगर पंचायत</th><th>नगर परिषद</th><th>नगर निगम</th></tr>
<tr><td>1</td><td>5.00 लाख रूपये तक</td><td>सहायक अभियंता</td><td>1 सप्ताह</td><td colspan="3" rowspan="3">झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-101 (च) एवं झारखण्ड नगरपालिका लेखा हस्तक की धारा-69 में यथा प्रत्यायोजित शक्ति के अधीन सक्षम स्तर से प्रशासनिक स्वीकृति पी0डब्लू0डी0 कोड के अनुसार प्रदान की जायेगी।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>25.00 लाख रूपये तक</td><td>कार्यपालक अभियंता</td><td>1 सप्ताह</td></tr>
<tr><td>3</td><td>25.00 लाख से 100.00 लाख रूपये तक</td><td>अधीक्षण</td><td>3</td></tr>
</table>

4	100.00 लाख से अधिक	मुख्य अभियंता	20 दिन	

7.0 योजनाओं का कार्यान्वयन (Execution of Schemes):

7.1 सभी योजनाओं का कार्यान्वयन खुली पारदर्शी प्रतिस्पद्र्धी निविदा के आधार पर निम्नवत् कराया जाएगा:

7.1.1. 1.50 लाख रूपये तक की योजनाएँ लेखा हस्तक (पार्ट-I) की धारा-76 के अनुरूप सीमित निविदा के द्वारा कर सकेंगे,

7.1.2. 1.50 लाख रू0 से 10.00 लाख रू0 तक की योजनाएँ समाचार पत्रों में निविदा प्रकाशित कर, शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर,

7.1.3. 10.00 लाख रू0 से अधिक की योजनाएँ शहरी स्थानीय निकाय के स्तर पर e-tender के माध्यम से,

7.2 निविदिा निस्तार की शक्तिः-

क्र०	निविदा निस्तार की सक्षमता	निविदा निस्तार की शक्तियों की सीमा	अभियुक्ति
1(a)	स्थानीय निकाय स्तर पर निकाय अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित Procurement Committee	1.00 करोड़ तक की निविदा	झारखण्ड नगरपालिका लेखा हस्तक की धारा-78 के अनुरूप
(b)	सक्षम स्तर के अभियंता की अध्यक्षता में गठित समिति जिनमें कार्यपालक पदाधिकारी नगर निकाय, कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग, कार्यपालक अभियंता भवन	1.00 करोड़ से 5.00 करोड़ तक की निविदा	

	निर्माण विभाग, कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता विभाग तथा जिला लेखा पदाधिकारी होंगे।		
2	राँची, धनबाद एवं देवघर, नगर निगम स्तर पर महापौर की अध्यक्षता में गठित Procurement Committee के अतिरिक्त मुख्य अभियंता नगर निगम Procurement Committee के सदस्य होंगे।	10.00 करोड़ तक की निविदा	
3	मुख्यालय स्तर पर निदेशक, नगरीय प्रशासन की अध्यक्षता में गठित Procurement Committee जिसमें मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, आन्तरिक वित्तीय सलाहकार एवं संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी सदस्य होंगे।	(क) 5.00 करोड़ से अधिक की सभी निविदाएँ (निगम को छोड़कर सभी स्थानीय निकायों के मामलें में) (ख) 10.00 करोड़ से अधिक की सभी निविदाएँ (निगम के मामले में)	निकाय स्तर पर प्राप्त निविदाओं के Technical एवं Rate bid का C/S निकाय स्तर से ही तैयार कर स्पष्ट अनुशंसा के साथ मुख्यालय को भेजी जाएगी।

उपरोक्त शक्तियाँ झारखण्ड नगरपालिका लेखा हस्तक की धारा-78 में उल्लेखित सभी कार्यो यथा-सामाग्रियों, कार्यों एवं सेवा प्राप्त करने आदि के लिए होंगे।

7.3 योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु आमंत्रित की गयी निविदा के निष्पादन के उपरांत शहरी स्थानीय निकाय के संबंधित नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी के द्वारा अनुशंसित कार्यकारी संस्था के साथ अनुबंध किया जाएगा:

7.4 प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय के स्तर पर कार्यान्वित की जाने वाली विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निम्नांकित समय तालिका (Time Table) का अनुपालन किया जाएगा:

क्रं0	चरण	अवधि
1	निविदा प्रकाशन	स्वीकृत्यादेश निर्गत होने के अधिकतम पन्द्रह (15) दिनों के भीतर।
2	तुलनात्मक विवरणी	निविदा खोलने के अधिकतम दो (2) दिनों के भीतर।
3	विभिन्न सक्षम स्तर से स्वीकृति	प्रत्येक स्तर पर अधिकतम तीन (3) दिनों के भीतर।
4	एकरारनामा हेतु सूचना	तुलनात्मक विवरणी की स्वीकृति के अधिकतम दो (2) दिनों के भीतर।
5	एकरारनामा पर हस्ताक्षर एवं कार्यादेश	निविदा निस्तारण के अधिकतम सात (7) दिनों के भीतर।
6	वास्तविक कार्य आरंभ किया जाना	कार्यादेश निर्गत करने के अधिकतम दो (2) सप्ताह के भीतर।

7.5 टेण्डर कमिटि/सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर यदि निविदा का निस्तार नहीं किया जा सकेगा तो उसके निष्पादन हेतु निदेशक, नगरीय प्रशासन की अध्यक्षता में गठित कमिटि द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

8.0 योजनाओं का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण (Monitoring & Supervision of Scheme):

8.1 प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय के स्तर पर कार्यान्वित की जाने वाली प्रत्येक योजना का प्रत्येक माह नियमित रूप से अनुश्रवण किया जाएगा ताकि ऐसी योजनाओं का निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राक्कलित विशिष्टियों एवं गुणवत्ता के अनुरूप कार्यान्वयन सम्पन्न कराया जा सके।

8.2 प्रत्येक वार्ड के अन्तर्गत कार्यान्वयनाधीन, योजनाओं की प्रगति, गुणवत्ता, इत्यादि पर प्रत्येक दो माह में एक बार वार्ड समिति के द्वारा समीक्षा करते हुए अपना प्रतिवेदन ऐसी बैठक सम्पन्न होने के 10 दिनों के भीतर संबंधित निकाय के बोर्ड को प्रेषित किया जाएगा, जिसके द्वारा ऐसे प्रतिवेदनों के आलोक में समुचित कार्रवाई की जाएगी।

8.3 प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय के द्वारा नगर विकास विभाग को प्रत्येक माह की 5वीं तारीख तक विहित प्रपत्र में उपावंटित की गयी समस्त राशि का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा ताकि राज्य स्तर से ऐसी योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करते हुए उचित कार्रवाई की जा सके।

8.4 योजनाओं के अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण के क्रम में शहरी स्थानीय निकाय के द्वारा ऐसी योजनाओं की प्राक्कलित गुणवत्ता किसी भी परिस्थिति में प्रभावित नहीं होने दी जाएगी तथा संबंधित तकनीकी पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे।

8.5 विभाग द्वारा पारदर्शिता के दृष्टिकोण से योजना संबंधी विवरणी दर्ज करने हेतु एक ऑन लाईन एम0आई0एस0 (MIS) सॉफ्टवेयर तैयार किया जायेगा, जिसमें सभी योजनाओं की प्रविष्टि नगर निकायों द्वारा की जायेगी।

9.0 जनोपयोगी/वाणिज्यिक परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु परिक्रमणीय निधि (Revolving Fund):

9.1 परिक्रमणीय निधि (Revolving Fund) का अभिप्रेत ऐसी निधि से है, जिसका कुछ इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि जनोपयोगी/वाणिज्यिक परिसंपत्तियों का निर्माण करने हेतु इस निधि का परिक्रमण (Revolve) करते हुए बार-बार उपयोग किया जा सके।

9.2 इस क्रम में ऐसी परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु इस निधि का पूर्ण अथवा लोक-निजी भागीदारी के आधार पर आंशिक रूप से व्यय किया जा सकता है तथा व्यय की गयी ऐसी राशि की 25 प्रतिशत अतिरिक्त राशि के साथ प्रसंगाधीन परिसम्पत्ति का निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पुनः प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए, जिसके फलस्वरूप इस राशि का आकार दिनानुदिन बढ़ता जाए।

इस राशि का इस्तेमाल बाजार निर्माण, बस पड़ाव निर्माण, नगर भवन निर्माण, प्रेक्षा गृह, विवाह भवन, आदि कार्यों हेतु ही किया जा सकता है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य (Economical Viable) हो।

9.3 प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय के बोर्ड के द्वारा उक्त शहरी स्थानीय निकाय को नागरिक सुविधा मद अथवा किसी अन्य सुसंगत मद अन्तर्गत आवंटित राशि में से आवश्यकतानुसार परिक्रमणीय निधि (Revolving Fund) कर्णाकित करते हुए इस प्रयोजन हेतु उपर्युक्त बिन्दु को ध्यान में रखते हुए उपयोग किया जाएगा, जिस क्रम में ऐसी निधि का अलग से लेखा-जोखा संधारित किया जाएगा ताकि निहित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके।

9.4 समय-समय पर बोर्ड के द्वारा इस पृथक लेखा में उपलब्ध परिक्रमणीय निधि को दृष्टिगत रखते हुए व्यवसायिक प्रकृति की योजनाओं का चयन करते हुए उनका कार्यान्वयन कराया जा सकेगा ताकि ऐसे शहरी स्थानीय निकाय के आय स्त्रोतों में वृद्धि हो सके।

9.5 उपर्युक्त क्रम में व्यवसायिक प्रकृति की योजनाओं के उपयोग एवं इनसे अन्यथा प्राप्त राजस्व को प्रत्येक स्थानीय निकाय में एक अलग खाता खोलकर आवर्ती कोष (Recurring Fund) में संधारित किया जाएगा।

इस राशि का उपयोग ऐसी व्यवसायिक प्रकृति की योजनाओं के अद्यतन रख-रखाव एवं संधारण के लिए किया जाएगा।

9.6 उपर्युक्त कंडिका-9.6 में वर्णित व्यय के उपरांत अवशेष राशि के व्यय के संबंध में शहरी स्थानीय निकाय के बोर्ड के स्तर से आवश्यक निर्णय लिया जाएगा।

9.7 किसी शहरी स्थानीय निकाय का निर्वाचित बोर्ड अस्तित्व में नहीं रहने की स्थिति में ''झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011'' की धारा-96 के आलोक में राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु नियुक्त प्राधिकारी के द्वारा कर्तव्य निष्पादित किया जाएगा।

10.0 जन सहभागिता/अंशदान (People's of Participation/Contribution):

10.1 योजनाओं के कार्यान्वयन में जन सहयोग के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए स्थानीय निकायों की ऐसी जनोपयोगी योजनाओं के चयन एवं कार्यान्वयन में प्राथमिकता दी जाएगी, जिन योजनाओं के लिए जन सहयोग के माध्यम से श्रम एवं दान स्वरूप भूमि अथवा निधि उपलब्ध करायी जाती हो।

10.2 इस क्रम में निधि के रूप में योजना की लागत राशि की न्यूनतम 10% (दस प्रतिशत) अंशदान राशि उक्त वार्ड के निवासियों के द्वारा वहन करनी अनुमान्य होगी। यदि इस

प्रकृति की कई योजनाएँ प्रस्तावित हों तो ऐसी स्थिति में निधि की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए अधिकतम अंशदान से कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर चयनित करते हुए विधिवत् कार्यान्वित कराया जाएगा।

10.3 जनसहभागिता के माध्यम से प्रस्तावित की गयी योजनाओं पर संबंधित वार्ड समिति के द्वारा विचार करने के समय ''अधिकतम जनसंख्या को अधिकतम लाभ'' के सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुए अनुशंसा की जाएगी, जिसकी अंतिम स्वीकृति निकाय के बोर्ड द्वारा प्रदान की जाएगी।

11.0 स्थानीय स्तर पर प्राप्त आय का उपयोग (Use of Income at Local Level):

11.1 प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय को स्थानीय स्त्रोतों से प्राप्त होने वाले राजस्व में से बोर्ड के निर्णय अनुसार स्थापना एवं अनुरक्षण हेतु आवश्यक राशि के व्यय के उपरान्त अवशेष राशि को विभिन्न वार्ड से प्राप्त राजस्व के अनुपात में विभिन्न वार्डो की विकास योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु व्यय किया जा सकेगा।

11.2 उपर्युक्त उपलब्ध राशि से संबंधित वार्ड समिति के द्वारा उक्त राशि के समतुल्य प्राक्कलित राशि की योजनाएँ अनुशंसित की जाएँगी, जिसके आलोक में संबंधित शहरी स्थानीय निकाय के द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

12.0 योजनाओं का संधारण (Maintenance of the Scheme):

12.1 कार्यान्वित योजनाओं के पूर्ण होने के बाद उनका संधारण निकाय द्वारा तीन से पाँच वर्षों तक वार्षिक दर अनुबंध (Annual Rate Contract) के आधार पर कराया जाएगा।

12.2 उपर्युक्त प्रयोजन हेतु प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय के द्वारा खुली पारदर्शी प्रतिस्पर्धात्मक निविदा आमंत्रित करते हुए ऐसी सेवाएँ प्रदान करने वाली संस्था का विधिवत चयन करते हुए तत्संबंधी एकरारनामा किया जाएगा।

12.3 वार्षिक दर अनुबंध (Annual Rate Contract) के आधार पर योजना विशेष पर अधिकतम 5 (पाँच) लाख रूपये लागत की मरम्मति/संधारण योजनाओं पर व्यय किया जा सकेगा।

12.4 ऐसे मरम्मति/संधारण कार्यों की कार्य से पूर्व एवं कार्य सम्पन्न होने के उपरान्त संबंधित वार्ड समिति के सदस्यों की उपस्थिति में वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी करायी जाएगी तथा वार्ड समिति के द्वारा संतोषप्रद कार्य प्रतिवेदित करने की स्थिति में भुगतान किया जाएगा।

उपर्युक्त क्रम में किसी प्रकार की कठिनाई होने की स्थिति में संबंधित निकाय के बोर्ड द्वारा समुचित कार्रवाई की जा सकेगी।

12.5 वार्ड स्तर पर आवंटित राशि की 20% राशि सृजित परिसम्पत्तियों के रख-रखाव हेतु सुरक्षित रखी जाएगी।

13.0 मुख्यालय स्तर पर प्रतिवेदनों का प्रेषण (Reporting to Head Quarter):

13.1 निकायों द्वारा नगर विकास विभाग के Web-site पर ऑन लाईन सूचनाएँ दर्ज की जायेगी।

13.2 कार्यान्वित योजनाओं का विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण-पत्र (Utilization Certificate) एवं कार्य पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र (Work Completion Certificate) ससमय विभाग को भेजा जायेगा।

14.0 वार्ड स्तर पर आधारभूत संरचना संबंधी आँकड़ा (Ward Data):

14.1 प्रत्येक वार्ड में उपलब्ध आधारभूत संरचनाओं को ऑन लाईन विभागीय पोर्टल पर दर्ज किया जायेगा।

14.2 सभी नगर निकायों के द्वारा वार्ड वार परिसम्पत्तियों का संधारण परिसम्पत्ति रजिस्टर (Asset Register) में किया जायेगा।

15.0 सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit):

15.1 निकाय द्वारा चलायी जा रही प्रत्येक योजना में प्रशासन एवं निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाये रखने के लिए वार्ड समिति द्वारा सामाजिक अंकेक्षण कराकर प्रतिवेदन संबंधित निकाय को समर्पित किया जाएगा, जिसके द्वारा ऐसे प्रतिवेदनों को समेकित करते हुए नगर विकास विभाग को समेकित प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

15.2 सामाजिक अंकेक्षण के जरिए किसी गतिविधि या परियोजना के संभावित लाभान्वितों तथा अन्य सामाजिक पक्षों को संबंधित गतिविधि या परियोजना के सूत्रण से लेकर क्रियान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन तक की हर अवस्था में शामिल रखा जाना अपेक्षित है।

15.3 इससे यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी कि संबंधित गतिविधि या परियोजना की रूपरेखा और क्रियान्वयन की प्रक्रिया मौजूदा (स्थानीय) परिस्थितियों में सबसे ज्यादा अनुकूल ढ़ंग से, प्रभावित होने वाले पक्षों की प्राथमिकताओं और अपेक्षाओं का पर्याप्त रूप से समावेश करते हुए और जनहित को ध्यान में रखते हुए संचालित की जा रही है।

यह अपेक्षा की जाती है कि उपर्युक्त व्यवस्था से राज्य के शहरी स्थानीय निकायों से जन सुविधाएँ प्रदान करने में जन-सहभागिता के माध्यम से पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए ससमय ऐसी योजनाओं जनोपयोगी का कार्यान्वयन संपन्न किया जा सकेगा।

15.4 Online Monitoring के लिए एक Robust System विकसित किया जायेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 456–50 ।

परिशिष्ट -''क''

क्रं0			वार्ड की जनसंख्या के आधार पर संख्या						
			2000 तक	2000.4000	4000.6000	6000.8000	8000.10000	10000.12000	12000.
1	संबंधित वार्ड पार्षद	अध्यक्ष	1	1	1	1	1	1	1
2	वार्ड में स्थित क्षेत्रों के क्षेत्र सभा प्रतिनिधि के मनोनयन हेतु झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 40 के अन्तर्गत क्षेत्रों का संधारण करते हुए इस प्रयोजन हेतु बोर्ड के समक्ष समर्पित किए गए आवेदन पर धारा 41 के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा प्रत्येक क्षेत्र सभा प्रतिनिधि को नामित किया जाएगा।	सदस्य	क्षेत्र सभा के अनुसार						
3	वार्ड की आम सभा द्वारा मनोनीत पंजीकृत कल्याण संगठन एवं समुदाय/एन0जी0आ0/व्यवसायी वर्ग के प्रतिनिधि	सदस्य	2	3	3	4	5	6	6
4	अनुसूचित जाति/जनजाति के मनोनीत प्रतिनिधि	सदस्य	1	1	2	2	2	2	2
5	अल्पसंख्यक वर्ग के मनोनीत प्रतिनिधि	सदस्य	1	1	1	1	1	1	2
6	शहरी स्थानीय निकाय के मनोनीत पदाधिकारी/कर्मी	सदस्य-सचिव	1	1	1	1	1	1	1

* क्षेत्र सभा के प्रतिनिधि के मनोनयन हेतु झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 40 के अन्तर्गत क्षेत्रों का संधारण करते हुए इस प्रयोजन हेतु बोर्ड के समक्ष समर्पित किए गए आवेदन पर धारा 41 के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा प्रत्येक क्षेत्र सभा प्रतिनिधि को नामित किया जाएगा।

* उपर्युक्त के क्रमांक-3 ,4 एवं 5 को मिलाकर नामित सदस्यों में 50 प्रतिशत से अन्यून महिलाएँ होंगी।

* अध्यक्ष किसी सरकारी विभाग के पदाधिकारी को उस विभाग के संबंधित समस्याओं के संबंध में भाग लेने के लिए विशिष्ट अतिथि के रुप से आमंत्रित कर सकता है।